[19/7/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 3509]

परिशिष्ट - 1
(पेज 1 से 2)

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA
(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE

ई-6/47, स्मृति परिसर, सांईबोर्ड के पास, अरेरा कॉलोनी, भोपाल (म.प्र.)-462016
E-6/47, Smriti Parisar, Near Sai Board, Arera Colony, Bhopal (M.P.)-462016
दूरभाष / Phone : 0755-2426638, फैक्स/Fax : 0755-2426698, ई-मेल/E-mail ID - robhopal@nhai.org

भा.रा.रा.प्रा./क्षे.का.-म.प्र./भोपाल/विधान सभा/2024/51260 दिनांक 05/07/2024

प्रति,

मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल, मध्य प्रदेश

Sub: सड़क निर्माण में गौण खनिज का उपयोग।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 3509 में डॉ. रामकिशोर दोगने जी द्वारा पुछे गए प्रश्न का उत्तर निम्नानुसार है-:

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रस्तुत जानकारी
(क)	बैतूल से हरदा एवं बैतूल से नर्मदापुरम के बीच में बन रहे राष्ट्रीय राज मार्ग में प्रश्नांकित दिनांक तक कितना कितना गौण खनिज का उपयोग किया गया है। सड़क निर्माण के अनुबंधकर्ता द्वारा कितने गौण खनिज के उपयोग की जानकारी खनिज विभाग को प्रश्नांकित दिनांक तक उपलब्ध करवाई गई है।	भा.रा.रा.प्रा. के अतंर्गत निर्मित परियोजनाओं में उपयोग की गई गौण खनिज की जानकारी अनुलग्नक-1 में अंकित है।
(ख)	सड़क निर्माण में गौण खनिज के उपयोग, गौण खनिज की रायल्टी भुगतान के संबंध मे राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किस अवधि में कौन सी जानकारी जिला खनिज कार्यालय में प्रस्तुत करनी चाहिए, हरदा एवं होशंगाबाद के राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण मे कितने खनिज के उपयोग एवं कितनी रायल्टी भुगतान की जानकारी प्रश्नांकित दिनांक तक एन.एच.आई. के द्वारा दी गई है।	खनिज विभाग की मांग अनुसार जानकारी संविदकार से उत्पन्न कर समय-समय पर उपलब्ध कराई जाती है।
(ग)	मार्ग निर्माण मे उपयोग कर लिए गौण खनिज की रायल्टी से संबंधित जानकारी संकलित कर रॉयल्टी वसूली की कार्यवाही कब तक की जावेगी समय सीमा सहित बतावे।	अनुबंध की शर्तो अनुसार रॉयल्टी जमा करने का दायित्व संविदाकार का है, जिसे सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक बिल भुगतान से पूर्व रॉयल्टी चालान की मांग संविदाकार से की जाती है। इसके अतिरिक्त खनिज विभाग द्वारा भी आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

आपकी जानकारी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

05/07/2024
(पारस बंसल)
प्रबंधक (तक.)

अनुलग्नक–1

क्रं.	परियोजना का नाम	लंबाई	गौण खनिज की मात्रा (cu.m)	गौण खनिज मूल्य
1	4–लेन हरदा–बैतूल पैकेज–1 (हरदा–टेमागांव) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–47 जिला हरदा–30.00 कि.मि	30.00	3,77,807	5,07,19,575
2	2–लेन विथ पेव्हड शोल्डर हरदा–बैतूल पैकेज–2 (टेमागांव– चिचोली) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–47 जिला हरदा–4.00 कि.मि नर्मदापुरम–7.7 कि.मि बैतूल 39.252 कि.मि	50.95	1,84,200	92,10,000
3	4–लेन हरदा–बैतूल पैकेज–3 (चिचोली–बैतूल) राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–47 जिला बैतूल–40.248 कि.मि	40.25	29,78,107	4,11,09,930
4	4–लेन इटारसी–बैतूल पैकेज–2 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–46 नर्मदापुरम–17.710 , एवं बैतूल 42.437 कि.मि	73.955	4,71,148	4,71,14,787
5	औबेदुल्लागंज–बैतूल सेक्शन रा.रा. क्रं. 69 कि.मी. 2.800 से कि.मी. 8.300 एव कि.मी. 20.700 से कि.मी. 63.000	46.30	9,34,113	9,72,93,966

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
लोक निर्माण विभाग
मध्यप्रदेश मंत्रालय, भोपाल